



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932
No. 593] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

वित्त मंत्रालय

(1)

(2)

(राजस्व विभाग)

6. डीआरपी, हैदराबाद

अधिसूचना

7. डीआरपी, कोलकाता

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

8. डीआरपी-I, मुम्बई

(आय-कर)

9. डीआरपी-II, मुम्बई

10. डीआरपी, पुणे

का.आ. 718(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अधीन कृत्यों के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे, अर्थात् :—

सारणी

आय-कर प्राधिकारी	आय-कर प्राधिकारी
(1)	(2)
आय-कर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)	वे आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक, जो निम्नलिखित विवाद समाधान पैनलों के सदस्य हैं अर्थात् :—
	1. डीआरपी, अहमदाबाद
	2. डीआरपी, बंगलौर
	3. डीआरपी, चेन्नई
	4. डीआरपी-I, दिल्ली
	5. डीआरपी-II, दिल्ली

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/जेएस(एफटी एंड टीआर-II)/2010/अधिसूचना
सं. 21/2010]

के. रामलिंगम, संयुक्त सचिव